[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की । 17 तारीख को फिर जूनियर डाक्टर्स ने सरकार को लिखा और आल इंडिया इंस्टीयूट के डायरेक्टर महोदय को लिखा और जलूस लेकर गए कि साहब इसके बारे में एक कमेटी बनाकर आप इसकी जांच करें, वह भी नहीं हुई । नतीजा यह हुआ कि 22 तारीख से वहां पर हड़ताल शरू हो गई । हड़ताल के कारण हजारों मरीज, जो बेचारे पूरे देश के कोने-कोने से आते है, वे आते हैं और लौट जाते है । बहुत से लोग यहां मर गए, खत्म हो गए क्योंकि इतनी बड़ी हमारी प्रतिष्ठा की चीज इस तरह से बंद पड़ी हुई है । महोदया, मैं कहता हूं कि आल इंडिया इंस्टीट्यूट, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वह दूसरों की स्वस्थ्य रक्षा के लिए, पूरे देश के असाध्य रोगों को देखने के लिए बना था लेकिन इस समय जब उसका ही स्वस्थय खराब है तो सरकार का कर्त्तव्य क्या होता है ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो चीजों अखबारों में आई है, उनके माध्यम से पता चलता है कि डायरेक्टर महोदय ने यह मामला हमारे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सौंप दिया है । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को वहां जाकर इस मामले की छान बीन करनी चाहिए थी, किन्तु केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जो इसी सदन के एक माननीय सदस्य है, अभी तक वहां नहीं गए । मांग केवल एक है कि जो वहां के वरिष्ठ डाक्टर्स है, जिसमें उन्होंने बड़े-बड़े डाक्टर्स का भी नाम लिया है- हृदय रोग संस्थान के-और जिनकी डाक्टरी में और जिनकी विद्वता व ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनमें मनुष्यता नहीं है । उनके ऊपर यही इल्जाम लगाया गया है और बड़े और छोटे डाक्टर्स का भेद वहां पर इस तरह से है कि सीनियर डाक्टर्स, जिसमें देश के बहुत बड़े डाक्टर डा० वेणु गोपाल का भी नाम आया है अखबारों में की जूनियर डाक्टर्स के साथ व आदमी की तरह नहीं पशु की तरह व्यवहार करते है उनको डाटना, जूनियर डाक्टर को नंगा करना और यहां तक कि उनको पीटना ये बातें भी आई है जिनके बारे में सरकार को ज्ञापन दिया जा चुका है । इसलिए महोदया मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए क्योंकि आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट देश के लिए एक गरीमा है ।

क्योंकि आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज एक गारिमा है और वहां पर पूरे देश के लोग आते है और आज आ रहे हैं लेकिन बन्द वह इंस्टीट्यूट और लोग जाते हैं । इसलिए अविलम्ब मैं मांग करता हूं कि हैल्थ मिनिस्टर को वहां जाकर के आपस में बात करें और अगर सही व्यक्तियों के लिये एक-दो लोगों को सस्पेंड करना पड़ें हटाना पड़े तो करके इस मामले को समाप्त कराना चाहिये ।

Incorrect information sent by the Assistant Commission of Police, Chanaka Puri, New Delhi about the arrest of Shri Yashwant Sinha, Member of Parliament.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीया उपसभापति महोदया, मैं बहुत ही गंभीर और इस सदन के एक माननीय सदस्य के जो उनके अधिकार हैं और पुलिस ने जो गलत सूचना दी है उसके संबंध में ध्यान आकर्षित करना करना चाहत हू । दिनांक 21 अगस्त को रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ जो 17-अक्बर रोड पर रहते हैं, के सड़क के सामने उनके मकान के दूसरी ओर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसको मान्यता प्राप्त करने के सिलसिले में वहां एक धरना हो रहा था। श्री हरीश रावत जो लोक सभा के सदस्य रह चुके हैं वह उसका नेतृत्व कर रहे थे । करीब ग्यारह-सवा ग्यारह बजे राज्य सभा के माननीय सदस्य श्री यशवन्त सिन्हा वहां पर पहुंचे । पुलिस द्वारा उनको वहां पर गिरफ्तार भी किया गया और हिरासत में लिया गया, वह बात की बात है । लेकिन पुलिस ने जो सूचना दी है और राज्य सभा के दिनांक 22 अगस्त के पालियामेंट्री बुलेटिन में छपा है उसकी ओर मैं पहले ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

"No. 32514: Detention and release of Shri Yashwant Sinha, Member, Rajya Sabha.

The following communication dated the 21st August, 1991, addressed to Hon'ble Chairman, Rajya Sabha, has been received from the Assistant Commissioner of Police, Chanakya Puri, New Delhi:—

> 'This is to inform your honour that Shri Yashwant Sinha, Member of Parliament was detained today at 1.15 P.M. under section 65 Delhi Police Act, when he had come and joined a dharna at the residence of Hon'ble Railway Minister at 17, Akbar Road. He was subsequently released at 3.00 P.M."

यह सूचना माननीय सभापति जी को नियम – 222ए है उसके अंतर्गत दी गयी है । यह निवेदन मैं करना चाहूंगा कि जिस प्रकार यह सूचना दी जानी चाहिये थी कि कहां पर पकड़ करके उनको हिरासत में रखा गया, इस चीज को पुलिस अधिकारियों ने छिपाने का काम किया है । 222ए में दिया गया हैकि:

> "222A. Intimation regarding arrest, detention, etc. of member: When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may be, shall immediately intimate such fact to the Chairman indicating the reasons for the arrest, detention or conviction, as the case may be as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate form set out in the Second Schedule."

मेरा सब मिशन यह है कि असिस्टेंट पुलिस कमिशनर की ओर से जो सूचना आयी उसमें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं की गई कि इनके अनुसार जो पौने दो घंटे तक श्री यशवन्त सिंहा जो पुलिस की हिरासत में थे तो उन को कहां पर रखा गया और इसलिये मेरा आरोप है कि जो सही तथ्य हैं उनको छिपाने की कोशिश की गयी है और सभापति जी के जरिये इस सदन को गलत सूचना दी गयी है । दूसरे मेरा निवेदन यह है कि श्री यशवन्त सिन्हा 12 बजे के करीब गिरफ्तार किये गये हैं और रात के करीब 10 बजे जो तुगलक रोड़ पुलिस थाना है वहां से छोड़ गये वहां से रिहा किये गये । इस तथ्य को भी यहां पर छिपाने की कोशिश की गयी है और यह सीधा-साधा इस सदन की अवमानना का प्रश्न है और पुलिस ने जो सूचना दी है वह गलत सूचना दी है तथ्यों को छिपाया है बल्कि असत्य सूचना दी है । इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो विशेषाधिकार समिति है उसके समक्ष यह मामला भेजने की कृपा करें और पुलिस से जानकारी भी मांगें, क्योंकि पुलिस ने सही तथ्यों को छिपाया है, जैसा कि नियम में होना चाहिये था कि कहां पर उनको हिरासत में रखा, कहां पर उनको डिटेंशन में रखा, इस चीज की जानकारी पुलिस से करनी चाहिये ।

उपसभापति : आप प्रिविलेज कमेटी को लिख कर भेजें और चेयरमैन साहब एक्सेप्ट करेंगे . . . (व्यवधान)

श्री शंकर दयाल सिंह : यह मामला बड़ा गंभीर है . . . (व्यवधान)

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) . . . . (व्यवधान) . . . गृह मंत्री इसके ऊपर कार्यवाही करें, महोदया . . . (व्यवधान) . . .

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Madam, the whole Hous agrees . . . (*Interruptions*) . . .

श्री शंकर दयाल सिंह : इसलिये महोदया, हम यह चाहते हैं कि आज श्री यशवन्त सिन्हा के साथ इस तरह का सलूक हुआ है, कल दूसरे सदस्य के साथ होगा, पिछले दिनों तुलसी रेड्डी के साथ हुआ था, इसलिये गंभीरतापूर्वक इस मामले को लिया जाये और आज ही मैं मांग करता हूं कि गृह मंत्री

[श्री शंकर दयाल सिंह]

को इसकी जांच करके बयान देना चाहिये ...(व्यवधान)...श्री यशवन्त सिन्हा केवल एक सदस्य की हैसियत से ही नहीं बल्कि एक ऐसी हैसियत से भी बराबर रहे हैं जो कि हम जानते हैं कि यह कभी भी गलत तरीके से पेश नहीं आते हैं और उनके साथ जो इस तरह से बदसलूकी हुई है और नियमों की अवहेलना हुई है इसको मैडम, आप जरा गंभीरता से लें... (व्यवधान)

उपसभापति : आप अगर समझते हैं कि आपको इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में लाना है तो आप जरूर चेयरमैन साहब को इस बारे में लिख सकते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उस पर अमल किया जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो प्रिविलेज है उसकी इज्जत करना हरेक का काम है..... (व्यवधान)...

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं.....(व्यवधान)...

श्री रजनी रंजन साहू : महोदया, थाने में, उनको जमीन पर बैठे हुए देखा गया। महोदया वहां के पुलिस पदाधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक, सभी निकम्मे हैं और वे इस तरह का व्यवहार सदस्यों के साथ करते हैं। गृह मंत्री जी बताएं कि इस बारे में वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभापति जी, मैंने निवेदन किया था कि जो सूचना दी गई है वह अधूरी है। इसलिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि डेढ दो घंटे तक उनको कहां रखा गया ? महोदया, यह रांगफुल कन्फाइनमेंट का मामला बनता है।

उपसभापति : बुलेटिन में जो कहा गया है आपकी सूचना के मुताबिक वह गलत है और आप यह कह रहे हैं कि उनको ज्यादा देर तक वहां बिठाए रखा गया .... (व्यवधान)...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उनको सूचना देनी चाहिए थी कि पौने दो घंटे तक उनको कहां रखा गया ?

उपसभापति : मैं वही कह रही हूं जो आप कहना चाहते हैं।

Because of that my language may be a little different. What I am saying is, what came in the Bulletin was the information given by the police to the Secretariat and that is how they have printed it. Now, in your opinion and in the opinion of some other Members, it is not correct. The Secretariat will enquire from the police station why they gave wrong information. Now, the Home Minister is here, he is going to... (*Interruptions*). Please don't interrupt when I am speaking. I am trying to keep the dignity of the Members... (*Interruptions*).

SHRI DIGVIJAY SINGH (Bihar): Madam, I, am raising my point as a witness there.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Were you a witness there?

SHRI DIGVIJAY SINGH: Yes, I was also a witness there.

हम दोनों लोग वहां पर थे शाम को जब पांच बजे यह सूचना मिली कि यशवंत सिन्हा और श्री हरीश रावत गिरफ्तार करके तुगलक रोड़ थाने में ले जाए गए हैं तो हम सारे लोग वहां गए। वहां पर हमने पाया कि यशवंत सिन्हा को जमीन पर बिठाया हुआ था। पुलिस वालों में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि उन्हें कुरसी पर बिठाया जाता। मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, तवज्जह देने की बात नहीं कर रहा हूं। यशवंत सिन्हा जी इस सदन के नेता रहे, भारत के वित्त मंत्री रहे और उन्हें जमीन पर बिठाया हुआ था।

हम वहां पर गए तो हमने पूछा कि आधी रात तक उनके साथ ऐसी बदसलूकी क्यों कर रहे हो ? दिन में 12 बजे गिरफ्तार किये हुए आदमी को रात 10 बजे तक एक गिलास पानी भी नहीं पूछा गया। महोदया, यह केवल प्रिविलेज का मामला नहीं है। महोदया, वहां कांग्रेस के संसद सदस्य भी मौजूद थे, श्री दिग्विजय सिंह वहां पर मौजूद थे, उड़ीसा

से आए हुए एक सांसद मौजूद थे और हम सबकी मौजूदगी में यह घटना घट रही थी । मैं सोच रहा था कि गृह मंत्री जो कोई ऐसा कदम उठाएंगे कि जिससे आने वाले दिनों में कम से कम संसद सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल (उत्तर प्रदेश) : मैडम, मैं आपको याद दिला दूं कि यह पुलिस स्टेशन है जहां ढाई तीन महीने पहले मुझ पर अटैक हुआ था । म वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो वहां के एस० एच० ओ० ने रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार कर दिया । उसकी रिटन कंप्लेंट मैंने चेयरमन साहब को की और हम इस मामले को उठाया । आज ढाई महीने गुजर चुके हैं, आज तक उसका जवाब नहीं आया कि इस केस के बारे में क्या किया गया ? आज तक मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई । महोदया, यह तुगलक रोड पुलिस स्टेशन वी० आई० पी० एरिया का पुलिस स्टेशन है और रोजाना यहां के बारे में शिकायतें आती हैं । होम मिनिस्टर साहब ने मुझे बताया था कि मैंने इस सिलसिले में लिख दिया है और इस पर पूरी कार्यवाही की जाएगी । लेकिन होम मिनिस्टर के एश्योरेंस के बावजूद आज तक मुझे यह नहीं बताया गया है कि उन अफसरान के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

†[श्री محمد افضل عرف م- افضل:

میڈم میں آپکو یاد دلا دوں کہ یہ وہی پولیس اسٹیشن ہے جہاں ڈھائی تین مہینے پہلے مجھ پر اٹیک ہوا تھا - میں وہاں پر رپورٹ درج کرانے گیا تو وہاں کے ایس - ایچ - او - نے رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا - اسکی وٹرن کمپلینٹ میں نے چیرمین صاحب کو کی اور اس معاملے کو اٹھایا - آج ڈھائی مہینے گزر چکے ہیں - آج تک اسکا جواب نہیں آیا کہ اس کیس کے بارے میں کیا کیا گیا آج ایک مجھے سیکورٹی پروواڈ نہیں کی گئی - مہودیہ یہ تغلق روڈ پولیس اسٹیشن وی - آئی - پی - ایریا کا پولیس اسٹیشن ہے اور روزانہ یہاں کے بارے میں شکایتیں آتی ہیں ہوم منسٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے اس سلسلے میں لکھ دیا ہے اور اس پر پوری کارروائی کی جائیگی - لیکن ہوم منسٹر کے ایشورنس کے باوجود آج تک مجھے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ان افسران کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے -]

1.00 P.M.

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, while I respectfully bow down to what your views are on this matter, I seek your protection for the sake of dignity of the House, and very much request you to go a step further. There is a clear and palpable breach in compliance of the rules of the House. This manifests some sort of a defiance on the part of the authorities with a sense of impunity. It is not enough that the matter is referred to the Privileges Committee. The Home Minister must be called upon to enquire into the matter and report to the House for the sake of dignity of the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Home Minister is here. I am sure he has heard it and I would ask him to find out, because this is not just a State matter; this is a ting which happened a couple of kilometres away. People are present in Delhi. Please find out, because you are also an hon. Member of this House and we want to protect your dignity also.

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Yes, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He will do it.

Appointment of a constrovesial officer As Flag Officer Commanding, Eastern Fleet in the Indian Navy

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): Madam Deputy Chairman, through you I would seek to draw the kind attention of this House to a very serious matter. Today's press, particularly, the *Statesman* has reported that the Defence Minister has since cleared the appointment of a controversial officer as Flag Officer Commanding, Eastern Fleet.

Madam, you are aware, this officer, who is a Rear Admiral, was in the news when he filed a petition in the Bombay High Court last year, charging almost the entire naval top brass, with illegal and improper behaviour, mismanagement, favouritism, corruption and moral turpitude. And what is worse, his charges included that a section of the top brass who are alumni of the Naval War College, USA, has acquired control of key positions and were blocking promotional avenues of others. And his charges also included-and I quote from the newspaper report—"An informal quota has been reserved in American universities for children of senior naval officers and that aid and scholarships have been awarded to them in a manner that was not commensurate with their academic qualifications." Now, raising this as a part of his allegations against subtle-American involvement in the running of the Indian Navy, this Rear Admiral had also alleged that an informal quota of American greencards was kept aside for the offsprings of senior naval officers with a view to influencing official matters.

Madam, I do not want to meddle with the appointment methods and procedures followed in the Naval Headquarters. But the point is, this particular officer—he has withdrawn his petition from the court; that is all right—has been cleared, and obviously the Defence Minister and for that matter, the Government can appoint him or post him in any capacity, but the point is, his charges have gone on record and they were never refuted. What makes me raise this question is that an officer of his stature had made certain serious allegations against the entire Naval Headquarters even to the extent that there is an American lobby which in influencing the running of the Naval Headquarters in our country and how that American lobby is trying to influence the naval officers there. If it is a favolous charge, if it is an unfounded charge, then the person making such favolous or unfounded charge should not have been appointed. And if he was appointed, in that case, did his appointment justify his charges? Then what about the enquiry into those charges? So either this appointment justifies his charges or it is clear as to what were the charges against him. His charges have gone on record and those charges have not been refuted by the Government. This is a serious one that an American lobby is running the Naval Headquarters and influencing through green card, etc. This appointment is still awaiting the approval of the Cabinet Committee, according to today's press reports. The Defence Minister has passed this. I do not know whether it will be approved by the Government. Before it is approved, Parliament is entitled to know from the Government whether a senior official in the naval cadre has gone or record charging the naval officers, top brass in the naval headquarters, that an American lobby is running the naval headquarters and naval operations here. In that case, either the charges have to be refuted or an investigation into those charges has to be made and this has to be